बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक–पि0व0/छात्रवृत्ति–35–18/2011–2982

130

प्रेषक,

बी०प्रधान,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप निदेशक (कल्याण),
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 18-12-14

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में समेकित दिशा निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर अनुदेश निर्गत किये गये हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं लाभान्वित वर्गों की सुविधा के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत अनुदेशों को समेकित एवं अद्यतन किये जायें। तद्नुसार इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार दिशा–निर्देश दिये जाते हैं:–

1. **इस योजना के तहत राशि के उपलब्धता के अन्तर्गत हीं छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जायेगी। राशि समाप्त होने पर छात्रवृत्ति के लिए किसी प्रकार से राज्य सरकार की देयता की बाध्यता नहीं होगी।**

2. **<u>छात्रवृत्ति समितिः–</u>** जिला स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण हेतु जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

(i)	उप विकास आयुक्त	पदेन अध्यक्ष
(ii)	जिला कल्याण पदाधिकारी	पदेन सदस्य सचिव
(iii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
(iv)	जिला के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सांसद/विधायक या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य

(ख) <u>जिला छात्रवृत्ति समिति का कर्तव्यः–</u>

जिला छात्रवृत्ति समिति के निम्न कर्तव्य होंगेः–

(i) जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करना।
(ii) 2014–15(नवीन एवं नवीनीकरण) तथा 2013–14 नवीनीकरण आवेदकों का चयन करना।
(iii) चयनित आवेदकों को नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत करना।
(iv) छात्रवृत्ति लेखा की समीक्षा करना।

जिला छात्रवृत्ति समिति विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में कार्य करेगी। समिति आवेदन पत्रों के चयन, छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण के संबंध में विभागीय निदेश के विरूद्ध अन्य किसी नये नियम के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3. **<u>प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की पात्रताः–</u>**

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए सक्षम होंगे:–

(i) आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हों।

(iii) आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम ₹1.00 लाख (रूपये एक लाख) तक होना चाहिए।

(iv) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्रा हीं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(v) एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा–आई0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आई0ए0, बी0ए0 की परीक्षा उत्तीर्णकरने के बाद बी0कॉम एवं एम0एस0सी0 करने के बाद एम0ए0 कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(vi) एक माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।

4. **छात्रवृत्ति की स्वीकृतिः–**

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला कल्याण कार्यालय के स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों की विहित प्रपत्र में अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी।

(ii) आवेदन पत्रों को नवीन एवं नवीनीकरण के आधार पर सूचीबद्ध करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदन पत्र एवं उसकी सूची (विहित प्रपत्र में) जिला छात्रवृत्ति समिति के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।

(नवीन/नवीनीकरण आवेदक)

क्र0	आई0डी0 नं0	आवेदक का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	संस्थान का पूर्ण पता	कोर्स	जाति	आय	अनिवार्य शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि आवेदक को भेजने संबंधी विवरणी	स्वीकृत राशि आवेदक को प्रेषण की तिथि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(iii) सर्वप्रथम नवीनीकरण (Renewal) आवेदनों की स्वीकृति दी जायेगी।

(iv) नवीनीकरण आवेदकों की स्वीकृति के उपरान्त क्रमानुसार प्राप्त नवीन आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा।

(v) आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के 01 (माह) के अंदर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

(vi) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का चयन, स्वीकृति एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति, खासकर जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी माने जायेंगे।

5. **छात्रवृत्ति की दरः–**

(i) मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान की जानी है। साथ ही उक्त दर पर हीं वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के नवीनीकरण आवेदकों को भी छात्रवृत्ति स्वीकृत करते हुए भुगतान की जानी है।

(ii) इस राशि के अतिरिक्त भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से अनुरक्षण भत्ता देय होगा।

128

(iii) वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य के सरकारी संस्थान में अध्ययनरत आवेदकों को विभागीय पत्रांक–428 दिनांक–04.03.14 द्वारा संसूचित दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

6. **छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रियाः–**

(i) राज्य सरकार स्तर से आवंटन जिलों को विमुक्त की जायेगी।

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि छात्र–छात्रा के खाते में सीधे RTGS के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ii) छात्रवृत्ति की स्वीकृति की तिथि के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर स्वीकृत राशियाँ संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक के खातों में निश्चित रूप से जमा हो जानी चाहिए।

7. **जिलास्तरीय शिकायत निवारण समितिः–**

छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन पत्र की प्राप्ति, छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु जिलास्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता हैः–

(i)	जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत वरीय अपर जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जिला कल्याण पदाधिकारी	सचिव
(iii)	उप विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी	सदस्य

यह समिति छात्रवृत्ति के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निराकरण करेगी।

8. **इस योजना के संबंध में पूर्व में निर्गत दिशा–निदेश अवक्रमित समझे जायेंगे।**

उपर्युक्त दिशा–निदेश के आलोक में जिला स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 18/12/14
(बी०प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–18/2011–2982 पटना, दिनांक– 18-12-14

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/12/14
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–18/2011–2982 पटना, दिनांक– 18-12-14

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/12/14
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–18/2011–2982 पटना, दिनांक– 18-12-14

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार/कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/12/14
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–18 / 2011–2982 पटना, दिनांक– 18-12-14

प्रतिलिपि– सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–18 / 2011–2982 पटना, दिनांक– 18-12-14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।